राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 168

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 26 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सौरव गांगुली का कार्यकाल बढ़ाने को नियम बदल सकता है बीसीसीआइ

>> 14

सरोकार

सूनी शरई अदालतों में गूंज रहा महिला अधिकारों का जयघोष

नई दिल्ली : भारतीय संविधान के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दैनिक जागरण ऐसे आधारभूत प्रयासों को सामने लाएगा, जो मौलिक अधिकारों को आयाम देते हैं।

संपादकीय अभियान- 'हम भारत के लोग' में आज प्रस्तुत है मुस्लिम महिलाओं के हक की नई तस्वीर। (पेज-10)

जागरण विशेष

हर कोई बने अरुण और वीरेंद्र सा सजग...

नई दिल्ली : दिल्ली पहिवहन निगम (डीटीसी) की बस में तैनात मार्शल व कंडक्टर ने चार साल की बच्ची को दरिंदे के चंगुल से बचा लिया। इस तरह की सजगता हर नागरिक दिखाए तो ऐसी वारदात पर रोक मुमकिन है। (पेज-11)

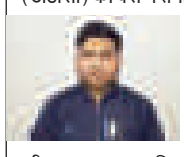

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

आपराधिक रिकार्ड वालों के चुनाव लड़ने पर लगाएं पाबंदी

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने को सुविचारित आदेश पारित करे। कोर्ट ने कहा, आयोग इस बारे में कदम उठाए ताकि तीन महीने के अंदर राजनीतिक दलों को आपराधिक रिकार्ड वाले लोगों को टिकट देने से रोका जा सके।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण लटकाया अयोध्या मामला : मोदी

रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड की चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, 'कांग्रेस और उसके साथी समस्याओं को टालते रहे और वोट बटोरते रहे। अयोध्या मसले पर कोर्ट के फैसले को सरकार की उपलब्धि बताते हुए मोदी ने कहा, कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण यह मामला लटकाए रखा था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

किसानों के लिए पेंशन योजना लाएगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली : सररकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना लाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण सेक्टर को आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक पेंशन स्कीम को मंजूरी दी जा चुकी है। यह स्कीम समूचे देश में लागू की जाएगी। छोटे दुकानदारों को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की प्रचंड जीत, चीन को झटका

हांगकांग : हांगकांग में रविवार को हुए निकाय चुनावों में लोकतंत्र समर्थकों की प्रचंड जीत हुई है। विरोध प्रदर्शन व हिंसा से अशांत हांगकांग की जिला परिषदों की 452 सीटों में से करीब 90 फीसद सीटें लोकतंत्र समर्थकों के खाते में गई हैं। महज दस फीसद सीटों पर ही चीन समर्थित उम्मीदवार व निर्दलीय जीत पाए हैं। ये नतीजे चीन के लिए तगड़ा झटका माने जा रहे हैं।

नाराजगी ▶ दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की जानलेवा स्थिति पर बिफरे सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

गैस चैंबर में मारने के बजाय बम फोड़कर सबको मार दो

पराली की समस्या से निपटने में नाकामी पर पंजाब, हरियाणा और उप्र के मुख्य सचिवों को फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोगों को गैस चैंबर में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? अच्छा होगा कि बम विस्फोट कर उन्हें एक बार में ही मार दो। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की जानलेवा स्थिति और सरकारों की अकर्मण्यता पर बिफरे सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी की। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी।

बार-बार निर्देश के बाद भी प्रदूषण से निपटने की दिशा में सरकारों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोक पाने पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी फटकार लगाई। साथ ही किसानों को भी दोषी ठहराया। अदालत ने कहा, 'क्या लोगों को प्रदूषण से मरने के लिए छोड़ देना होगा।' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अदालत ने कहा, 'क्या यह बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या यह गृहयुद्ध से बदतर हालत नहीं है? बेहतर है कि सबको बम से उड़ा दीजिए। कैंसर जैसी बीमारियों से जूझने से बेहतर है कि लोग मर ही जाएं।' अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों से एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता प्रबंधन और कचरा प्रबंधन की दिशा में उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि तीन दिन में उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। समिति को प्रदूषण से लड़ने की दिशा में विभिन्न टेक्नोलॉजी पर विचार कर तीन हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं संबंधित पक्षों से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग टावर पर 10 दिन में ठोस फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) व राज्यों के प्रदूषण बोर्ड से गंगा एवं यमुना समेत विभिन्न नदियों में जाने वाले सीवेज और कचरे से निपटने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है।

पानी के मसले पर दिल्ली को फटकार : पानी की समस्या पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने केंद्र एवं राज्य के बीच अधिकारों के बंटवारे का मुद्दा उठाया। इस पर फटकारते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा, 'दूसरों पर आरोप मत लगाइए। आपको लगता है कि ऐसा करके आप बच जाएंगे। आपको लोगों को मुआवजा देना चाहिए। यमुना की सफाई के लिए कितना पैसा आ रहा और वह जा कहां रहा है? दिल्ली में पानी की स्थिति क्या है? आरोप-प्रत्यारोप के बजाय सरकारें साथ बैठकर क्यों नहीं हल निकाल सकती हैं। सब कुछ अदालत नहीं तय कर सकती है।'

एंटी-स्मॉग गन का हो इस्तेमाल : अदालत ने दिल्ली सरकार से एंटी-स्मॉग गन के प्रयोग की दिशा में उठाए गए कदमों पर भी जानकारी मांगी। इसकी मदद से जल के कण 50 मीटर ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, जिससे प्रदूषण के कण छंट जाते हैं। सीपीसीबी को भी एंटी-स्मॉग गन के मामले में सहयोग को कहा गया है।

सरकारों की क्यों न हो जिम्मेदारी?

अदालत ने कहा कि प्रदूषण के कारण लोगों के जीने का अधिकार खतरे में है। इस दिशा में जिम्मेदारी निभाने में सरकारी मशीनरी की कछुआ गति को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराना चाहिए। जनता को स्वच्छ हवा और पानी मुहैया कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसे में राज्य सरकारों पर पीड़ित लोगों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है?

क्या है लोगों के जीवन की कीमत?

दिल्ली के हाल पर अदालत का गुस्सा यहीं नहीं थमा। दिल्ली के मुख्य सचिव से अदालत ने कहा, 'आप लोगों के जीवन की क्या कीमत लगाते हैं? लोग खतरनाक अस्थमा से पीड़ित हो रहे हैं। आपको पता भी है कि दिल्ली में कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं। क्या आप लोगों की घटती उम्र का कोई मुआवजा दे पाएंगे? आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।'

महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए महाराष्ट्र के राज्यपाल और सीएम के पत्र
- शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने 24 घंटे में बहुमत साबित करने का मांगा है आदेश

महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस की ताजपोशी पर सवाल उठाने और 24 घंटे के अंदर उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का आदेश मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने संयुक्त याचिका दाखिल कर कोर्ट से यह मांग की है। सोमवार को देवेंद्र फड़नवीस की ओर से सरकार बनाने का दावा करने वाले और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता देने वाले दोनों पत्र कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने पत्र देखने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

राज्यपाल सचिवालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पत्र पेश किए। मेहता ने कहा, राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार से संतुष्ट होने के बाद फड़नवीस को सरकार बनाने का न्योता दिया था। 22 नवंबर को फड़नवीस ने भाजपा की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने भाजपा के 105, राकांपा के 54 और 11 निर्दलीय व अन्य के साथ कुल 170 विधायकों का समर्थन होने का पत्र दिया। उनके अलावा अजीत पवार ने एक पत्र दिया, जिसमें उन्होंने स्वयं को राकांपा विधायक दल का नेता बताते हुए कहा, उनकी पार्टी फड़नवीस की सरकार को समर्थन देती है। उनकी पार्टी ने उन्हें फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। पवार ने समर्थन पत्र के साथ 54 विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र भी संलग्न किया था। मेहता ने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल के इस विवेकाधिकार को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

नई दिल्ली में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मीडिया से मुखातिब रणदीप सुरजेवाला, पृथ्वीराज चव्हाण और मुकुल वासनिक। प्रेट्र

इसके अलावा फड़नवीस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शिवसेना, राकांपा व कांग्रेस की याचिका का विरोध करते हुए कहा, दस्तावेज देखने से कोर्ट को पता चल गया होगा कि राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद दिया था। याचिकाकर्ता यह नहीं कह रहे कि दस्तावेज फर्जी थे। अगर दस्तावेज सही थे और राज्यपाल ने संतुष्ट होने के बाद फैसला लिया तो अब कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

याचिकाकर्ता कर रहे हॉर्स ट्रेडिंग : रोहतगी ने कहा, 'याचिकाकर्ता यह कैसे कह सकते हैं कि जिस दिन अजीत पवार ने राज्यपाल को पत्र दिया था उस दिन विधायक उनकी ओर थे और अब हमारी ओर आ गए हैं, इसलिए तत्काल सदन में बहुमत परीक्षण कराया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर बहुमत नहीं कराया गया तो विधायक चले जाएंगे। इस तरह देखा जाए तो याचिकाकर्ता हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं।' रोहतगी ने कहा, राज्यपाल का फैसला बिल्कुल सही है, जिन्होंने 14 दिन का समय दिया है। आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है। हमें याचिका का जवाब देने के लिए 3-4 दिन का समय दिया जाए। उन्होंने कहा, कोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता। सदन की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती।

मुंबई में शिवसेना गठबंधन ने कराई विधायकों की परेड

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- तीनों दलों ने 162 विधायकों के मौजूद होने का किया दावा
- उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा को अब बताएंगे शिवसेना क्या चीज है
- शक्ति प्रदर्शन में झलका पवार का डर, विधायकों को सदस्यता नहीं जाने का दिलाया भरोसा

महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम में सोमवार को शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से अपने विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई। गठबंधन ने 162 विधायकों के परेड में शामिल होने का दावा किया, लेकिन वहां मौजूद सूत्रों ने विधायकों की संख्या 137 बताई। विधायकों को उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी के नाम की शपथ भी दिलाई गई। यह कसम भी दिलाई गई कि वो किसी भी लालच में नहीं पड़ेंगे। हालांकि, इस शक्ति प्रदर्शन के बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार का व्हिप को लेकर डर भी साफ नजर आया, जब उन्होंने विधायकों को भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान करने पर सदस्यता नहीं जाने का भरोसा दिलाया।

यह महाराष्ट्र में ही नहीं शायद देश में पहला मामला होगा कि किसी गठबंधन ने अपने विधायकों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने पेश किया। विधायकों की परेड के बाद शरद पवार ने कहा, राज्य में बिना बहुमत के सरकार बनाई गई है। यह कर्नाटक, गोवा, मणिपुर नहीं है, भाजपा को कहीं भी बहुमत नहीं था, लेकिन उसने सरकार बना ली। यहां हमारे पास बहुमत से ज्यादा विधायक हैं। उन्होंने पार्टी विधायकों को यह भी भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान करने से उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। यहां तक कहा, यह सुनिश्चित करना उनकी निजी जिम्मेदारी है। शरद पवार को शायद यह डर सता रहा है कि अजीत पवार को ही विधायक दल का नेता न मान लिया जाए और उनके व्हिप को ही पार्टी का तरफ से जारी असली व्हिप। बगावत के बाद पवार ने अजीत को राकांपा विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया था।

वहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा, भाजपा को अब बताएंगे कि शिवसेना क्या चीज है। यह गठबंधन सिर्फ पांच साल ही नहीं लंबे समय तक चलेगा। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल को अब गठबंधन को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करना चाहिए।

राज्यपाल को 162 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा : इससे पहले, तीनों दलों के प्रतिनिधियों ने राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिवसेना के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के समर्थन में 162 विधायकों का पत्र सौंपा था। इस पत्र पर शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे, राकांपा विधायक दल नेता जयंत पाटिल एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहब थोरात के हस्ताक्षर हैं।

महा-संग्राम (विशेष) पेज>>4

मुंबई में सोमवार को शिवसेना, राकांपा व कांग्रेस ने संयुक्त रूप से 162 विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई। साथ ही किसी भी प्रकार के लालच में न पड़ने की शपथ दिलाई गई। प्रेट्र

व्यापम घोटाले में 30 को सात-सात और एक को 10 साल की कैद

नईदुनिया, भोपाल

- सिपाही भर्ती परीक्षा-2013 में भोपाल की विशेष अदालत ने सुनाई सजा
- दोषियों में 12, परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी और सात दलाल शामिल

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की सिपाही भर्ती परीक्षा- 2013 में हुए घोटाले के मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने 30 दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई। दलाली करने वाले प्रदीप कुमार त्यागी को मुख्य सूत्रधार मानते हुए 10 साल कारावास की सजा दी है। अदालत ने माना कि त्यागी ने ही असली परीक्षार्थियों से सौदा किया फिर फर्जी परीक्षार्थियों की व्यवस्था की। ज्ञात हो, गुरुवार को विशेष अदालत ने सभी 31 आरोपितों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष जज एसबी साहू ने सोमवार को जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी और सात दलाल शामिल हैं।

90 गवाह और 450 दस्तावेज बने सजा का आधार : सीबीआइ के वकील सतीश दिनकर ने बताया कि 15 सितंबर 2013 को सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद भोपाल व दतिया केंद्रों पर कार्रवाई के दौरान 31 आरोपित बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला स्पेशल टास्क फोर्स ने सीबीआइ को सौंप दिया था। अदालत द्वारा आरोपितों को दोषी ठहराने में 90 गवाहों के बयान और 450 से अधिक दस्तावेजों की अहम भूमिका रही।

ऐसे पकड़े गए थे आरोपित : सतीश ने बताया कि दोषी परीक्षार्थियों ने किसी अन्य से परीक्षा दिलाने की तैयारी आवेदन करते समय ही कर ली थी। इसी वजह से उन्होंने अपना स्पष्ट फोटो फार्म में नहीं लगाया था। सीबीआइ ने व्यापम घोटाले में करीब 170 एफआइआर दर्ज की थीं। इनमें से 143 में चार्जशीट हो चुकी है। संदिग्ध हालात में मौत के 16 मामलों सहित 20 में जांच बंद हो चुकी है। सात की जांच जारी है। जुलाई 2015 से सीबीआइ व्यापम घोटाले को देख रही है।

दिल्ली दहलाने की साजिश नाकाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइएस के बांग्लादेश मॉड्यूल से प्रेरित तीन आतंकी गिरफ्तार
- असम में टेस्ट ब्लास्ट कर राजधानी में करते आइईडी धमाका

दिल्ली पुलिस ने असम के गोलपारा जिले से तीन संदिग्ध आतंकियों को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आतंकी संगठन आइएस के बांग्लादेश मॉड्यूल से प्रेरित आतंकियों की साजिश सोमवार शाम असम के प्रसिद्ध रास मेले में विस्फोट करने की थी। इसके बाद उनके निशाने पर दिल्ली- एनसीआर था, लेकिन इससे पहले ही दबोच लिए गए। तीनों की पहचान गोलपारा के कृष्णैया थाना क्षेत्र निवासी लुइत जमील जमान, मुकादिर इस्लाम और रंजीत इस्लाम के रूप में हुई है। सरदार पारा गांव निवासी लुइत आधार पंजीकरण केंद्र में सुपरवाइजर का काम करता है। मुकादिर बेरोजगार है, जबकि नया पारा गांव निवासी रंजीत मछली मार्केट में मजदूर है।

डीसीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक, आतंकियों के पास से एक किलो विस्फोटक पाउडर, दो तलवार, बटनदार चाकू, चार मोबाइल फोन और आइईडी तैयार करने का सामान बरामद हुआ है। ऐसे विस्फोटक का प्रयोग 2017 में उज्जैन में ट्रेन धमाके में किया गया था। आतंकियों के मोबाइल में आइएसआइएस से जुड़ी अहम जानकारी भी मिली है।

कुछ देर और होती तो कर देते धमाका : डीसीपी ने बताया कि कुछ समय पहले कट्टरपंथी युवकों के एक समूह की पहचान की गई थी और उसमें शामिल तीन-चार युवकों पर सर्विलांस से नजर रखी जा रही थी। आतंकी हमले की साजिश का पता चलते ही एसीपी ललित मोहन नेगी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सुनील कुमार की टीम को असम भेजा गया। टीम ने 24 नवंबर को तीनों को गोलपारा के मधुबन लॉज से उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे रास मेले में विस्फोट के लिए जाने की तैयारी में थे।

दिल्ली में करते बड़ा विस्फोट : पूछताछ में तीनों ने बताया कि मेले में आइईडी ले जाकर सिर्फ बैट्री के तार जोड़ने थे। मेले में धमाके का परीक्षण करना था। इससे भी बड़ा धमाका दिल्ली-एनसीआर में करने की साजिश थी। तीनों ने बताया कि दिल्ली में धमाकों के लिए आइईडी बनाने का सामान और विस्फोटक सामग्री रंजीत इस्लाम और जमील जमान के घर में रखी गई थी। विस्फोट के बाद वे भीड़ पर चाकू-तलवार से हमला करते।

स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार आतंकी (बाएं से अगली पंक्ति में) लुइत जमील जमान, मुकदिर इस्लाम व रंजीत इस्लाम। सौजन्य पुलिस

सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामले बंद

राज्य ब्यूरो, मुंबई : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 2013 में दर्ज 71,000 करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामले सोमवार को बंद कर दिए। एसीबी का कहना है कि जो नौ केस बंद किए गए हैं, उनका अजीत पवार से कोई संबंध नहीं है। इनमें से कुछ मामले विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआइडीसी) से जुड़े हैं, तब अजीत पवार उसके अध्यक्ष थे।

एसीबी की इस सफाई के बावजूद इन मामलों के बंद होने से लोगों के कान खड़े हो गए हैं। 2014 के विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव से पहले इन मामलों को भाजपा ने चुनावी रैलियों में खूब भुनाया था। तब स्वयं देवेंद्र फड़नवीस यह कहते घूम रहे थे कि भाजपा सत्ता में आई तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे। अब फड़नवीस के साथ ही उपमुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण के तीसरे दिन ही ये मामले बंद कर दिए गए हैं। एसीबी अधिकारी परमवीर सिंह के अनुसार सिंचाई से जुड़ी शिकायतों के मामले में करीब 3000 निविदाओं की हम जांच कर रहे हैं। ये नियमित जांच हैं, जो बंद हुई है।

अटकलों का दौर

पूर्व केंद्रीय मंत्री के सोशल मीडिया पर परिचय में बदलाव से शुरू हुआ अटकलों का दौर, मप्र के दिग्गज कांग्रेस नेता के भाजपा में जाने के लगाए जा रहे कयास, 20 से ज्यादा समर्थक विधायकों के लापता होने की चर्चाएं जोरों पर

सिंधिया के ट्विटर बायो स्टेटस ने दिल्ली तक गर्माई सियासत

नईदुनिया, भोपाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट पर अपना बायो स्टेटस क्या बदला, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति का माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया पर उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की सूचना और भाजपा में जाने की अटकलों को लेकर तरह-तरह की खबरें आने लगीं। भाजपा ने भी सिंधिया की कांग्रेस में हो रही उपेक्षा की याद दिलाते हुए चुटकी ली। इस बीच सिंधिया को दो बार स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने कहा कि परिचय में बदलाव को करीब एक महीना हो चुका है। सफाई के बाद भी उन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत का एक केंद्र माने जाने वाले सिंधिया ने ट्विटर अकाउंट में अपना परिचय पूर्व संसद सदस्य, गुना (2002-2019), पूर्व ऊर्जा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्यमंत्री-वाणिज्य व उद्योग, राज्यमंत्री-संचार, सूचना प्रौद्योगिकी व डाक को बदलकर जनसेवक, क्रिकेट प्रेमी कर दिया है। सोशल मीडिया में इस बदलाव के सियासी मायने निकाले जाने लगे और पूरे घटनाक्रम को महाराष्ट्र में चल रहे सियासत से जोड़ते हुए देखा जाने लगा। ट्विटर पर सिंधिया के परिचय में बदलाव को उनकी पार्टी में उपेक्षा और इससे उनकी नाराजगी को जोड़ा गया।

मोदी से मुलाकात की भी खबरें : सिंधिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात तक की चर्चाएं सोशल मीडिया पर रहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब मोदी-सिंधिया की मुलाकात के बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा-मुझे जानकारी नहीं। खबरें तो यह भी आईं कि उनके 20 से ज्यादा समर्थक विधायक लापता हैं।

नाराजगी की वजह यह तो नहीं : मप्र कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में ज्योतिरादित्य का नाम लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही है। बताया जाता है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब तक इसका फैसला नहीं होने दिया है। इसे लेकर सिंधिया और उनके समर्थक खफा हैं।

समर्थक मंत्री ने भी बदला बायो स्टेटस : सिंधिया समर्थक मंत्री इमरती देवी के ट्विटर अकाउंट के बायो स्टेटस पर भी सुबह उनका परिचय मात्र विधायक के तौर पर दिखा गया। बाद में उन्होंने परिचय में मंत्री, महिला एवं बाल विकास भी जोड़ लिया।

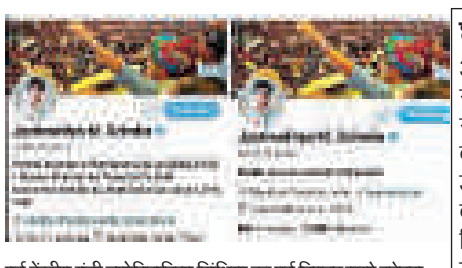

पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूर्व ट्विटर बायो स्टेटस (बाएं)। बदलाव के बाद सिंधिया का ट्विटर बायो स्टेटस। स्क्रीनशॉट

घटनाक्रम को बताया बेतुका

अटकलों के बीच सिंधिया को दो बार सफाई देनी पड़ी। पहली बार उन्होंने समाचार एजेंसी का सहारा लिया। दूसरी बार ट्विटर अकाउंट पर ही सफाई दी। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बेतुका बताते हुए कहा कि लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने ट्विटर परिचय को छोटा किया है। परिचय में बदलाव को भी करीब एक महीना हो चुका है।

भाजपा ने ली चुटकी

जनता की मांग पर सिंधियाजी ने अभी स्टेटस बदला है। यानी जनता चाहती है कि वे पुराने परिचय के साथ न रहें। बात सीधी और सपाट है।

-रजनीश अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा

कांग्रेस नेताओं की सफाई

नाराजगी उसे होती है, जिसकी कोई मांग होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई मांग ही नहीं है। वे अपने आपको कार्यकर्ता ही मानते हैं।

-पंकज चतुर्वेदी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता व सिंधिया समर्थक

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ समय पहले अपने ट्विटर प्रोफाइल पर कॉमनमैन ऑफ एमपी लिख लिया है, जिसका मतलब हर जनप्रतिनिधि जनसेवक ही होता है।

-नरेंद्र सलूजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक

बंगाल में शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देगी ममता सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- केंद्र सरकार व निजी स्वामित्व वाली जमीन पर बनी शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने की योजना

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में सभी शरणार्थी बस्तियों को नियमित (वैध) किया जाएगा। इसका मतलब है कि शरणार्थी के तौर पर रह रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। ममता ने कहा कि 1971 से ही ये अधर में लटके हैं। ना तो इनके पास जमीन है और ना ही घर। मेरा मानना है कि यह शरणार्थियों का हक है।

ममता ने सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद कहा, राज्य सरकार की जमीन पर बसी 94 शरणार्थी बस्तियों को नियमित किया जा चुका है। बाकी शरणार्थियों को भी राज्य सरकार की ओर से जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य में केंद्र व निजी जमीन पर बसी बस्तियों में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को अब स्थायी तौर पर घर मुहैया करने की दिशा में उनकी सरकार सक्रिय है और इसी के तहत उक्त निर्णय लिया गया है। ऐसे में 11986 शरणार्थी परिवारों को अब स्थायी घर मिल सकेगा। ममता ने आगे कहा, कई बस्तियां केंद्र सरकार और निजी जमीन पर बसी हुई हैं। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि इन बस्तियों को भी नियमित करके लोगों को जमीन का अधिकार दिया जाए। हालांकि, लोगों को जमीन खाली करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं।

भाजपा बोली, अवैध प्रवासियों को बचाने की कोशिश : ममता का बयान ऐसे समय में आया है, जब गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता राजिस्टर (एनआरसी) को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ममता के इस बयान को लेकर सख्त नाराजगी जताते हुए भाजपा के नेताओं ने कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार वोटबैंक के लिए अवैध प्रवासियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उनके इस प्रयास को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा।